भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2491

गुरूवार, 10 अगस्त 2023/19 श्रावण, 1945 (शक)

श्रम बल भागीदारी में स्त्री-पुरूष अंतर

2491. श्री मल्लिकार्जुन खरगे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि महिला और पुरुष श्रम बल भागीदारी के बीच अंतर है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में महिला श्रम बल की भागीदारी में सुधार लाने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विपरीतलिंगी का श्रम बल में भागीदारी का सर्वेक्षण करने का विचार है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2019-20, 2020-21 और वर्ष 2021-22 के दौरान सामान्य स्थिति आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक के पुरुष और महिला की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) निम्नानुसार थी:

वर्ष	**पुरुष एलएफपीआर (% में)**	**महिला एलएफपीआर (% में)**
2019-20	76.8	30.0
2020-21	77.0	32.5
2021-22	77.2	32.8

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में पुरुष और महिला दोनों की श्रम बल भागीदारी दर में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि की प्रवृत्ति है।

पुरुष और महिला एलएफपीआर के बीच अंतर, विभिन्न कारणों से है। कुछ अध्ययन दर्शाते हैं कि अधिकांश महिलाएं किसी न किसी रूप में काम करती हैं और अर्थव्यवस्था में योगदान देती हैं, लेकिन उनके अधिकांश कार्य का लिखित प्रमाण नहीं दिया जाता अथवा आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज नहीं किया जाता है और इस प्रकार महिलाओं के काम को कम रिपोर्ट किया जाता है। तथापि, दिनांक 03.08.2023 को, स्व-घोषणा आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगारों के कुल पंजीकरण में से 53% महिलाएं हैं।

सरकार ने देश में समग्र श्रम भागीदारी दर एवं श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में, सुरक्षा के अनेकों प्रावधान शामिल किए गए हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

मजदूरी संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के ई-श्रम पोर्टल का उद्देश्य, असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करना है। ई-श्रम पर ट्रांसजेंडर सहित लिंग-वार डेटा भी दर्ज किया जाता है। दिनांक 3 अगस्त 2023 तक, लगभग 5,966 ट्रांसजेंडरों ने स्व-घोषणा के आधार पर ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित कामगार के रूप में पंजीकरण कराया है।

*****